कं.क्र.6-3 (आवती) (4) R VIII

// कार्यालय पुलिस अधीक्षक, सरगुजा छ0ग0 //

कमांक / पुअ / सर / शिका / ~~सीजे~~ —ए
प्रति,

/2007 दिनांक 12.04.2007

पुलिस अधीक्षक,
पुलिस जिला सूरजपुर।

विषय :— आवेदक ग्राम सभा अध्यक्ष घारीराम ग्राम सभा परिषद जिला सरगुजा के शिकायत पत्र के जांच के संबंध में ।

संदर्भ :— भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनाति आयोग नई दिल्ली के पत्र कमांक—छ0ग0—01 / अत्याचार / 2007 / आर.यू.—ााा / दिनांक 26.3.2007

कृपया उपरोक्त विषय में सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। थाना प्रेमनगर एवं चन्दन नगर पु0जि0सूरजपुर में प्रस्तावित इफको तापीय विद्युत पावर प्लान्ट क्षेत्र में इफको के सर्वेकर्ता दज द्वारा अनुसूचित जनजाति सदस्यों (पुरूष एवं महिलायें) के साथ मारपीट एवं स्थानीय पुलिस द्वारा एफआईआर. दर्ज कर कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में आवेदक ग्राम सभा अध्यक्ष घारीराम ग्राम सभा परिषद जिला सरगुजा के शिकायत पत्र पु0जि0 सूरजपुर का होने से जांच हेतु आपकी ओर मूलतः प्रेषित है। कृपया उक्त शिकायत की जांच पश्चात् प्रतिवेदन संयुक्त संचिव, भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग छठी मंजिल,'बी' विंग, लोक नायक भवन खान मार्किट, नई दिल्ली.110003 की ओर प्रेषित करते हुये इस कार्या0 को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :— मूलतः आवेदन पत्र

कमांक—पुअ / सर / शिका / ~~सीजे~~ 140 —बी /2007

प्रतिलिपि:—

पुलिस अधीक्षक,
सरगुजा।
दिनांक 12.04..2007

1—संयुक्त संचिव, भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग छठी मंजिल,'बी' विंग, लोक नायक भवन खान मार्किट, नई दिल्ली.110003 की ओर उक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित है। कृपया उक्त शिकायत पत्र के संबंध में पु0अधी0 सूरजपुर से पत्राचार किये जानें का कष्ट करें।

2—प्रमुख सचिव, गृह विभाग, छ0ग0शासन, डी0के0एस0भवन रायपुर की ओर सन्दर्भित पत्र के परिपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

3—अति0पुलिस महानिदेशक,अअवि / शिका / अजाक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर की ओर सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ ।

पुलिस अधीक्षक,
सरगुजा।

24/4/07

comp.

क्र० 5 (आवती)

(5)

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

कमांक/पु0मु0/उमनि/अजाक/निस/ 272 /07 रायपुर, दि0 12 /06/07

प्रति,

श्री के0एन0सिंह,
संयुक्त सचिव,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
छठी मंजिल, 'बी' विंग,
लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली ।

विषयः– प्रेम नगर एवं चंदन नगर, जिला सरगुजा में प्रस्तावित इफको तापीय विद्युत पावर प्लांट क्षेत्र में इफको के सर्वेकर्ता दल द्वारा अनु0 नजाति सदस्यों के साथ मारपीट एवं स्थानीय पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्रवाई नहीं किये जाने के बारे में अध्यक्ष, ग्राम सभा परिषद, जिला सरगुजा से प्राप्त शिकायत के संबंध में ।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक छत्तीसगढ़–01/अत्याचार/2007/आर–यू–III दिनांक 26.03.07.

–::–

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । जिसके माध्यम उक्त शिकायत के संबंध में पुलिस अधीक्षक सूरजपुर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । जॉच पर पाया गया कि ग्राम चंदननगर में प्रस्तावित इफको पावर प्लांट का पाईप लाईन का सर्वे कार्य सांई एसोसियेट इंजि0 प्राय0 लिमि0 भुवनेश्वर द्वारा किया जा रहा है । दिनांक 14.03.07 को उक्त कंपनी के कर्मचारी द्वारा सर्वे कार्य किया जा रहा था, जिसकी जानकारी ग्राम सभा चंदन नगर मे उपस्थित सरपंच एवं अन्य को पता चलने पर कार्य बंद करवाने हेतु महिलाओं को भेजा गया तथा पीछे से गांव के 20–25 लोग झुठा आरोप लगाकर कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो कहकर हाथ–मुक्का, डण्डा, फावड़ा जुता–चप्पल से मारपीट किया गया । जिससे उन कर्मचारियों को चोटें आई जिसका डाक्टरी मुलाहिजा कराया गया । सर्वे कार्य में लगे कर्मचारियों को जबरन पंचायत में रोककर भी रखा गया । ग्रामवासियों द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र जिसमें 38 महिलाओं का नाम तथा अंगुठा लगा हुआ लाकर थाने में दिया गया जबकि कोई महिला इस संबंध में कोई रिपोर्ट थाने में नहीं की है । कंपनी के बंसत बेहरा की रिपोर्ट पर अज्ञात 20–25 लोगों के विरूद्ध अप0 क0 25/07 धारा 147,148,149,341 भादवि पंजीबद्ध की जाकर विवेचना की जा रही है ।

सर्वेकार्य में लगे सभी कर्मचारी अन्य प्रांत के है जो ना ही स्थानीय बोली जानते है और ना ही हिन्दी ठीक से समझते है ना बोल पाते है और ना गांव के किसी व्यक्ति को जानते–पहचानते है जो आदिवासी कहकर गाली–गुप्तार करना तथा छेड़छाड़ करने की बात पूरी तरह झुठी है। पंजीबद्ध अपराध से बचने की नीयत से शिकायत दिया जाना पाया गया है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(आर0सी0पटेल)
उमनि (अजाक/शिकायत)
पुलिस मुख्यालय, रायपुर

351/07/RU-III
23/6/2007

26/06